कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक– एफ 1(2)व.ना.ती.या. योजना/देव/2016/17439 दिनांक– 11-11-16

वास्ते,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय :– "वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2016" के प्रचार प्रसार हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2016 का प्रचार प्रसार राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाना हैं।

अतः कृपया राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के राजस्थान राज्य के सभी संस्करणों में 15cm X 15cm के साईज में विज्ञापन का प्रकाशन कराने का श्रम करावें। प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार। धन्यवाद

भवदीय,

(अशोक यादव)
आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
राजस्थान–उदयपुर

कार्यालय, आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर (राज.)

क्रमांक–वरि.नाग.ती.या.यो./देव/2016/ 17440 दिनांक :- 11-11-16

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना–2016

वरिष्ठ नागरिकों के लिये निःशुल्क तीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर

आवेदन पत्र 11 नवम्बर से 25 नवम्बर 2016 तक निकटवर्ती ई–मित्र केन्द्र/ऑनलाईन के माध्यम से भरे जायेंगे।

-:तीर्थ स्थान:-

वैष्णोदेवी, अमृतसर, गया–काशी, सम्मेदशिखर, बिहार शरीफ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, शिरड़ी, गोवा, तिरूपति, रामेश्वरम्, पटना साहिब, श्रवणबेलगोला

तीर्थ यात्रा रेल का प्रस्थान स्थल

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर

तीर्थ यात्रा हेतु पात्रता :–

1. राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष या अधिक आयु का हो, हवाई जहाज से यात्रा हेतु 70 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति ही पात्र होगें।
2. आयकर दाता न हो, इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न की हो,
3. भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नही होंगे।
4. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी.बी., कांजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, **Coronary** अपर्याप्तता, **Coronary thrombosis** मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो,
5. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम / स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी व उनके जीवन साथी यात्रा के पात्र नही होंगे।

तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

1. आवेदन ऑनलाईन/ई–मित्र केन्द्रो के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएगे।
2. आवेदन के साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र/भामाशाह कार्ड/आधार कार्ड प्रति प्रस्तुत करनी होगी। (केवल यही मान्य होगी)।
3. आवेदन पत्र में अपनी पसंद के दो तीर्थ स्थल वरियता क्रम (**Preference**) में अंकित किया जावें।
4. आवेदक को किन्हीं दो नाम निर्देशितियों का नाम एवं अन्य विशिष्टियाँ जिससे किसी आपात स्थिति में उनसे तुरन्त संपर्क किया जा सके, का वर्णन भी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर करना होगा। एक नाम निर्देशिति का मोबाईल नंबर देना आवश्यक होगा।
5. 70 वर्ष या अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिसने अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक नही है। हवाई जहाज से यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति के साथ सहायक यात्रा पर जाने का पात्र नही होगा।पुरूष सहायक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा महिला सहायक की आयु 30 से 45 वर्ष होगी।
6. पति/पत्नि के साथ साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नही रहेगी।
7. आवेदक के जीवनसाथी की आयु 60 वर्ष से कम होगी तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा/सकेगी।
8. आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी/सहायक भी उसके साथ यात्रा करने के का इच्छुक है।
9. सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को अनुज्ञेय है।
10. जिन आवेदको ने वर्ष 2013, 2014, 2015 में आवेदन किया है एवं जो यात्रा में नही जा सके उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता होगी।
11. प्राप्त आवेदनो मे से जिला कलक्टर द्वारा जिला मुख्यालय पर लॉटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। चयनित यात्रियों की सूची जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय तथा देवस्थान विभाग के वैबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी।

निर्धारित आवेदन प्रपत्र निकटवर्ती ई–मित्र केन्द्रों/ऑनलाईन के माध्यम से ही भरे जा सकेगें। देवस्थान विभाग की वैबसाईट **www.devasthan.rajasthan.gov.in** से भी आवेदन पत्र एवं तीर्थ यात्रा संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त
देवस्थान विभाग